



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या: 2201/मा०सं०(04)/उनिलि/2008-104-मा०सं०(04)/2005

दिनांक 10 दिसम्बर, 2008

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के पारिवारिक पेंशनरों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के आदेश संख्या 5226-औ०सं०/08-11(16) ए०एस०/05 दिनांक 06.11.2008 को तत्काल प्रभाव से अंगीकार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अध्यक्ष

संख्या: 2201 (1)मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2008,


तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (तकनीकी/वित्त/कार्मिक), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
3. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय विद्युत परियोजना/पी०पी०एम०एम०/तापीय परिचालन, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० ओबरा/अनपरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)/लखनऊ।
4. महाप्रबन्धक, (मानव संसाधन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वित्त/लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
5. उप महाप्रबन्धक (मा०सं०-01/02/03/04/05/06/औद्योगिक सम्बन्ध/रिफार्म), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
6. उप महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
7. उप मुख्य लेखाधिकारी/उप मुख्य चिकित्साधिकारी, तापीय विद्युत परियोजना, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा/अनपरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/हरदुआगंज, कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)।
8. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (सतर्कता एवं जाँच), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
10. अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी (मा०सं०-01/02/03/04/05/06), मानव संसाधन इकाई, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।

संलग्नक : यथोपरि।

आज्ञा से,



(सतीश चन्द्र खरे)
अनुसचिव (मा०सं०-04)

का. स्ती. पञ्चानली
21/11/08

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(जो प्रो. प्रवर्तन का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
Govt. of Uttar Pradesh Undertaking

शक्ति भवन: 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

सं०- 5226-औस/08-11(16)एस/05

दिनांक 06 नवम्बर, 08

कार्यालय ज्ञाप

पारिवारिक पेशनरो के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सम्यक विचारोपरान्त पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद/उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के पारिवारिक पेशनरो को पूर्ववर्ती परिषदाज्ञा सं० 2088-एनजी-11/एसईबी (IV)-29 एनजी-11/78 दिनांक 24.05.78 एवं सं० 2161-जी/राविप-1-103 ए/78 दिनांक 16.05.80 के अनुक्रम में सेवानिवृत्त पेशनरो की भाँति चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अध्यक्ष


निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पृ० सं०- 5226-औस/08-11(16)एस/05 तददिनांक।


प्रतिलिपि:- निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ०प्र० शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
4. समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, आगरा, केस्को-कानपुर।
6. अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
8. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/अरा०/काविनी उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
9. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त की प्रति अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करे।

vinyum



10. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त की प्रति अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करे।
11. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ०प्र० राज्य उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. सचिव, विद्युत कर्मचारी पेशनर्स परिषद, 103, कीर्ति अपार्टमेन्ट, स्टेशन रोड, लखनऊ।
13. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 17.10.08 को हुई बैठक के मद सं० पिचहत्तर (60)/08 के सम्बन्ध में उनकी टिप्पणी सं० 724/पाकालि /बैठक (75)/2008 दिनांक 03.11.08 के सन्दर्भ में प्रेषित।


(कौशन चन्द सक्सेना)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी